

कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

सं.स्था(लेखापरीक्षा)/कोविड-19/21-22/सी-20

दिनांक 15.04.2021

कार्यालय आदेश

कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर, सभी अधिकारी/कर्मचारी को कोविड के सामान्य नियमों को पालन करना अनिवार्य है। इससे महामारी को फैलने से रोका जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा।

2. कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

- (i) कार्यालय परिसर में हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य है।
- (ii) कोविड नियमों यथा समय-समय पर साबुन -पानी से हाथ धोना, सेनिटाईजर का उपयोग करना एवं आपसी दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करें।
- (iii) यदि कोई अधिकारी /कर्मचारी कार्यालय परिसर/कार्यस्थल पर बिना मास्क पहने पाये जाते हैं या समूह में घुमते पाये जाते हैं या कोविड के नियमों का पालन न करते हुए पकड़े जाते हैं, ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध उचित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

प्राधिकारी:- दिनांक 15.04.2021 को जारी महालेखाकार(लेखापरीक्षा) का आदेश।

हस्ता/-

उपमहालेखाकार(प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचना व आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. सचिव, महालेखाकार(लेखापरीक्षा)बिहार, पटना
2. सभी समूह अधिकारी के सचिवालय
3. सभी उपनिदेशक/ केन्द्रीय सेक्टर का सचिवालय
4. सभी नियंत्रक ए.एम.जी/अनुभाग के वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
5. वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.एस., कार्यालयी वेबसाईट पर आदेश की प्रति अपलोड करने के अनुरोध के साथ
6. कार्यालय आदेश फाईल
7. सूचना पट्ट एवं सभी संस्थाओं के व्हाट्सएप समूह

हस्ता/-

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी(प्रशासन)